

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2023/ 472

दिनांक 17/02/2023

प्रार्थी :-

1. हुकमाराम पुत्र मदाराम, जाति जाट
निवासी खेमपुरा (बाछड़ाऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.मदाराम 2.देवाराम पि.पदमाराम 3.रामाराम पुत्र
पूनमाराम 4.पूरों पत्नि पूनमाराम 5.टीकमाराम
6.अचलाराम पि. जोगाराम 7.पदमों पत्नि जोगाराम,
जातियान जाट, निवासी खेमपुरा (बाछड़ाऊ)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 103/2022

दिनांक : 17.02.2023

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा खेमपुरा के खेत खसरा सं. 803/245 रकबा क्रमशः 3.8526 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 473 to 476

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी हुकमाराम
3. विप्रार्थीगण मदाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 17/02/2023

(भागीदार II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन